ईवी उद्योग में निवेशकों के लिए लैंड बैंक तैयार करेगी सरकार

- उप्र इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 लागू

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) उद्योग के जरिए निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लैंड बैंक भी तैयार करेगी। औद्योगिक विकास विभाग ने शुक्रवार को उप्र इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 की अधिसूचना जारी कर दी है। यह नीति पांच वर्ष के लिए प्रभावी होगी। नीति में ईवी निर्माताओं तथा चार्जिंग व बैट्री स्वैपिंग सेवा प्रदाताओं के प्रोत्साहन पर विशेष बल दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में नीति को मंजूरी दी गई थी, जिसे अगले ही दिन लागू कर दिया गया। नीति औद्योगिक विकास विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

ईवी उद्योग से जुड़े लोगों को तकनीकी सहायता प्रदान किए जाने की भी व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार ईवी उद्योग में निवेशकों के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरणों व विकास प्राधिकरणों के परामर्श से भूमि बैंक तैयार करेगी। नीति के तहत व्यक्तिगत क्रेता केवल एक ही ईवी की खरीद पर सब्सिडी का लाभ ले सकेंगे। सरकार लखनऊ में व्यापक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान (सीईएमपी) तैयार करने में नीति आयोग तथा एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ समन्वय कर रही है। इस योजना का स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चयनित सभी 17 नगर निगम वाले शहरों में विस्तार किया जाएगा।